प्रारुप—30

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव

FORM-I

(for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector uttarkashi

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.525 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works deparment...chinyalisour uttarkashi** for **road construction in uttarkashi district** falls within jurisdiction of Bangoan-Chapra-Kaslana.village (s) in **chinyalisour** and Barkot tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 1.525 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

प्रतिहस्ताक्षर

(D.[redacted])

District [redacted]te-uttarkashi

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.uttarkhashi, district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/ D.K. Choudhury I.A.S district magistrate uttarkashi on dated 19-07-18....at uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring 7.152. **hect** for the construction of Bangoan-chapra-kaslana motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...uttarkashi............
Dated:..............

जिलाधिकारी
(D.K. Choudhury)
District Magistrate-uttarkashi

It is cetified that –Minutes of meeting of Bangoan-Chara-Kasalana road (Length 9.00 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire **7.152 Het** of forest area proposed for deversion. A coppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given Consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Motar road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

[redacted]धिकारी

(D.K. [redacted]ry)
District Magistrate-cum-chairman
District Level Committe
Uttarkashi

(117)

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिति, जिला–उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/07/2016 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.152 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डी०के० चौधरी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री [redacted] नरेन्द्र यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	(हस्ताक्षर)
3	श्री जी.के. रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) 19/07/16
4		प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट	
5	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य	(हस्ताक्षर) 19/7/16 जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत टकनौर, जिला योजना समिति उत्तरकाशी
6	श्रीमती अनीता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य	(हस्ताक्षर) सदस्य जिला पंचायत लदाड़ी नि०स्था०-भटवाड़ी, उत्तरकाशी
7	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	(हस्ताक्षर) अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य -16 ... उत्तरकाशी

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.417 हे0) आरक्षित वन भूमि 2.292 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि रिक्त वन पंचायत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.125 हे० अर्थात कुल (3.417 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 19–7–16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा	अध्यक्ष
2–	श्री आर0बी0 सिहं उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	सदस्य
3–	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	सदस्य / सचिव
4–	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड़	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.417 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **डुण्डा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापडा कसलाना **मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 7.152 **हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... **उत्तरकाशी** .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम – राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति नौगांव

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.735 हे0) आरक्षित वन भूमि 2.065 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.63 हे0 वन पंचायत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.04 हे० अर्थात कुल (3.735 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 03-5-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाण्डे उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी बड़कोट	अध्यक्ष
2–	उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव	सदस्य
3–	सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती रचना बहुगुणा बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	सदस्य

उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रमुख क्षेत्र पंचायत नौगांव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.735 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत

द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.735 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... उत्तरकाशी .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रारुप–30'3

परियोजना का नाम राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – कसलाना

तहसील————, जिला– उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड मे जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनगांव चापड़ा कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (3.105 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे0 सिविल सोयम भूमि.. X हे0, वन पंचायत भूमि —X— हे0) अर्थात कुल 3.735 हे0 वन भूमि का लो० वि० चिन्यालीसौड़ विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कसलाना द्वारा दिनांक 3/5/17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कसलाना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 3.735 लो०नि०वि० चिन्यालीसौड़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव कसलाना
[illegible] अधिकारी

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत कसलाना, विकास खण्ड–चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी))
ग्राम प्रधान / सरपंच
दि0
ग्राम सचिव

प्रारुप—30'3

परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी. लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चापड़ा

तहसील चिसौड जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनगांव—चापड़ा कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (6.522 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे0 सिविल सोयम भूमि रिक्त हे0, वन पंचायत भूमि NIL हे0) अर्थात कुल 7.152 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चापड़ा द्वारा दिनांक 20.6.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वनवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चापड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान/सरपंच

ग्राम सचिव मुहर सहित

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19-7-16 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम- बनगाँव-चपड़ा [illegible] मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	(हस्ताक्षर)
2	श्री आर0बी0 सिहं	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	(हस्ताक्षर)
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	(हस्ताक्षर)
4	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	(हस्ताक्षर)

कार्यालय उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, नौगांव उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19-7-16 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम-पुजगाँव-धायाड़ा कसलानी मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजकुमार पाण्डे	उपजिलाधिकारी बड़कोट	
2	श्री० बी० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव	
3	प्रताप सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव	
4	श्रीमती रचना बहुगुणा	बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	

प्रारुप–30.4

दिनांक 26/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......चापड़ा......

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी. लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान दास	[signature]
	चैन सिंह राणा	[signature]
	शूरवीर सिंह	शूरवीर सिंह
	दिनेश लाल	दिनेशलाल
	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह
	श्रीपाल	[signature]
	राध्या लाल	राध्या
	बलवीर सिंह	बलबिर
	केदार सिंह	केदार सिंह
	प्रितम सिंह	[signature]
	सुनील	[signature]
	अमित	[signature]
	हुकम सिंह	हुकम सिंह
	अकबर सिंह	अकबर सिंह
	राम	[signature]
	महवीर	[signature]
	अजयपाल सिंह	[signature]
	अरविन्द सिंह	अरविन्द सिंह
	रघुबीर सिंह	रघुबीर
	परम सिंह	परम
	सुभाष लाल	सुभाष लाल
	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
	उत्तम सिंह	[signature]
	पवन सिंह	Pawan
	मनवीर	[signature]
	जगवीर सिंह	जगवीर सिंह
	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह

उप प्रधान
ग्राम पंचायत चोपड़ा
विकास खण्ड सौंगाँव(उ०का०)

प्रारुप–30.4

दिनांक [illegible] को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

योजना का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
2	[illegible] सिंह S/o [illegible]	[illegible]
3	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
4	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
5	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
6	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
7	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
8	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
9	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
10	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
11	सन्तराम S/o [illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	प्रदीप सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
14	वीर सिंह S/o गुलाब सिंह	वीर सिंह
15	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22		
23	प्रताप सिंह S/o नारायण[illegible]	[illegible]
24	रणवीर सिंह S/o नारायण[illegible]	[illegible]
25	बलवीर सिंह S/o कुंवार सिंह	[illegible]

सचिव

सचिव